भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2517

जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**त्वरित न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों के बैकलॉग का निपटान**

**2517. श्री संजय सिंहः**

क्या **विधि और न्याय** न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में मामलों के त्वरित विचारण के लिए स्थापित त्वरित न्यायालयों में अभी तक 2000 से अधिक लंबित मामले पड़े हुए हैं; (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के लंबित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार त्वरित विचारण संचालित करने के लिए त्वरित न्यायालयों की अपक्षता से निपटने के लिए क्या उपाय करेगी ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ख) :** अधीनस्थ न्यायालयों का गठन, जिसमें त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) और उनकी कार्य प्रणाली/मानीटरी भी सम्मिलित हैं, उन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संशाधनों के अनुसार, ऐसे न्यायालयों का गठन करती हैं । अतः इन न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ा संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा रखा जाता है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.12.2017 तक कुल 5.7 लाख मामले त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित है । ये मामलें, जघन्य अपराधों में अंर्तवर्लित समाज के सीमान्त वर्गों, जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बालक, आदि भी शामिल है, से संबंधित है ।

**(ग) :** 11वें वित्‍त आयोग ने लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए देश में 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए एक स्‍कीम की सिफारिश की थी । स्कीम 2000-2001 में आरंभ की गई थी और 2010-2011 तक जारी रही तथा उसके बाद यह भिन्न-भिन्न प्ररुपों में जारी रही । तथापि, उन न्यायाधीशों के 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के वेतन पर व्ययों को पूरा करने के लिए स्कीम का केन्द्रीय वित्त पोषण 31.03.2015 तक जारी रहा, जो ब्रज मोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार सुमेलन के आधार पर (केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच) अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए गए थे ।

भारत सरकार ने 14वें वित्‍त आयोग को अपने ज्ञापन में जघन्य अपराधों में अंर्तवर्लित ऐसे सीमान्त और सहजभेद व्यक्ति, जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, बालक, आदि भी शामिल है, के मामलों के निपटारे के लिए 4,144 करोड़ रुपए की लागत से 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव दिया था । 14वें वित्‍त आयोग ने, संघ सरकार के प्रस्‍ताव का समर्थन किया और तद्नुसार, राज्य सरकारों को राज्यों में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने हेतु 14वें वित्त आयोग पंचाट में अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का उपबंध किया गया था । भारत सरकार ने भी मामले का अनुसरण किया है और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बालकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से निवेदन किया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*